

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

पत्रांक: 1(43) राज.-6/16/110

जयपुर, दिनांक 11.10.19

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 खण्ड (ख) का उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक (क-4) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 1(3) कार्मिक/क-4/2019, दिनांक 14.08.2019 एवं 30.08.2019 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थपित किया गया है, को सहायक कलक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

| क्र. सं. | नाम अधिकारी (सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती) | फील्ड प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला |
|----------|--|----------------------------------|
| 1. | रामजी भाई कलबी | नागौर |
| 2. | राजकेश मीना | बूंदी |

राज्यपाल की आज्ञा से,

— स्व —

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव
11/10/19